# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी,भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)**

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 821/2024 | 23.08.2024 | 12.08.2025 |

**उनवान**

1. श्री राधेश्याम पिता रामकरण ब्राहम्ण, निवासी जूनावास तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री ओमप्रकाश पिता रामकरण ब्राहम्ण, निवासी जूनावास तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्री कैलाश चन्द्र पिता घीसूलाल ब्राहम्ण, निवासी मठ मन्दिर के पास माण्डल जिला भीलवाड़ा

—— **प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. श्रीमती संगीता पत्नी सम्पतलाल शर्मा, निवासी कोटडी, दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

—— **विपक्षीगण**

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण की और से श्री शम्भुदास वैष्णव
2. विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्

## —:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दरीबा की आराजी सं. 09 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा जिसका विभाजन न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 27/03/2012 को न्यायालय ने डिक्री किया जिसमें प्रार्थीगण के 1/2 हिस्सा व विपक्षी सं. 01 संगीता शर्मा का 1/2 हिस्सा रहा। विपक्षी सं. 01 संगीता के आराजी सं. 9/1 बक्षीस पत्र के अनुसार उत्तर दिशा का हिस्सा रहा व विक्रयपत्र के अनुसार प्रार्थीगण का आराजी सं. 9/2 हिस्सा दक्षिण दिशा रहा। प्रार्थीगण के आराजी सं. 9/2 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी है जिसके हाल नम्बर हैक्टेयर माप में 0.9294 हैक्टेयर है दोनो भाग बराबर है परन्तु दक्षिण दिशा का भाग प्रार्थीगण के होना चाहिये जो आराजी सं. 9/2 है। इस कारण रेकार्ड में संशोधन कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 1507 दिनांक 24.06.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 311/2009 निर्णय दिनांक 27.03.2012 के अनुसार आराजी नम्बर 9/1 राधेश्याम पिता रामकरण, ओप्रकाश पिता रामकरण ब्राहम्ण, कैलाश पिता घीसुलाल ब्राहम्ण 1/2 एवं आराजी नम्बर 9/2 संगीता पत्नी सम्पतलाल शर्मा निवासी कोटडी दर्ज बाबत् डिक्री जारी हुई। जिसके क्रम में इजराय प्रकरण संख्या 25/2012 दिनांक 25.10.2012 की पालना में ग्राम दरीबा की नामा. संख्या 1670 निर्णय दिनांक 06.05.2013 दर्ज हुआ। जिसमें संगीता पत्नी सम्पतलाल शर्मा 9/1 एवं राधेश्याम, ओमप्रकाश पिता रामकरण, कैलाशचन्द्र पिता घीसु ब्राहम्ण 9/2 दर्ज हुआ। जो डिक्री आदेशानुसार दर्ज नहीं हुआ था। इसी क्रम में सुधार हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण 249/2018 दिनांक 22.04.2020 दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 16.10.2020 को पूर्व में जारी डिक्री दिनांक 27.03.2012 अनुसार पालना करने का आदेश जारी हुआ। जिसकी पालना में ग्राम दरीबा के नामान्तकरण संख्या 2066 दिनांक 09.05.2022 दर्ज हुआ वर्तमान में रेकार्ड दिनांक 27.03.2012 के निर्णय के अनुसार है। मौके पर उक्त आराजियात पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। ग्राम दरीबा की आराजी सं. 09 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा जिसका विभाजन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27/03/2012 अनुसार प्रार्थीगण के 1/2 हिस्सा व विपक्षी सं. 01 संगीता शर्मा का 1/2 हिस्सा रहा। विपक्षी सं. 01 संगीता के आराजी सं. 9/1 बक्षीस पत्र के अनुसार उत्तर दिशा का हिस्सा रहा व विक्रयपत्र के अनुसार प्रार्थीगण का आराजी सं. 9/2 हिस्सा दक्षिण दिशा रहा। प्रार्थीगण के आराजी सं. 9/2 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। उक्त विभाजन न्यायालय आदेश अनुसार हुआ है जो कि सही है। उक्त विभाजन न्यायालय आदेश अनुसार होने से रेकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतःएव्

## –:आदेश :–

ग्राम दरीबा की आराजी सं. 09 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि का विभाजन इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 311/2009 निर्णय दिनांक 27.03.2012 के अनुसार आराजी नम्बर 9/1 राधेश्याम पिता रामकरण, ओप्रकाश पिता रामकरण ब्राहम्ण, कैलाश पिता धीसुलाल ब्राहम्ण 1/2 एवं आराजी नम्बर 9/2 संगीता पत्नी सम्पतलाल शर्मा निवासी कोटडी दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा